भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 23

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

जबरन बेदखली और घरों को गिराया जाना

***23 श्री संजय सिंहः**

क्या *आवासन और शहरी* *कार्य* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवासन और भू-अधिकार नेटवर्क (एचएलआरएन) द्वारा लिखित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्तर्गत भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन बेदखली और घरों को गिराए जाने की कम से कम 83 घटनाओं का पता चला है जिसके फलस्वरूप 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 54000 से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कोरोना वायरस आपातकाल के दौरान शहरी गरीबों की जबरन बेदखली और उनके घरों को गिराए जाने को पूरी तरह से रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जबरन बेदखली और घरों को गिराये जाने" के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *23 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भू-उपयोग विनियमन सहित, शहरी विकास संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों समेत, नगरपालिकाओं को सौंपी गई योजनाओं के कार्यान्वयन एवं संबंधित प्रकार्यों के निष्पादन के दायित्व तथा प्राधिकार, शक्तियों से नगरपालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून तैयार करने की शक्ति राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को प्रदान करता है।

जबरन बेदखली और घरों को गिराए जाने से संबधित आंकड़ों का रखरखाव मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

****